भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2591
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **पीएमएफबीवाई के अंतर्गत किसानों को मुआवजा**
2591. श्री वरुण चौधरीः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किसानों की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत पंजीकृत किसानों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान अपनी फसल के नुकसान को पंजीकृत कराने वाले किसानों की संख्या के साथ-साथ मुआवजा प्राप्त करने वाले किसानों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है; और
(घ) पीएमएफबीवाई में किसानों द्वारा कम रुचि दिखाए जाने के क्या कारण हैं और पीएमएफबीवाई के कवरेज को बढ़ाने के लिए विचाराधीन कदम क्या हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि संगणना, 2015-16 के अनुसार देश में 1464.54 लाख प्रचालन भू-जोत हैं।

(ख) और (ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान नामांकित किए गए किसान आवेदनों और दावों का भुगतान पाने वाले किसान आवेदनों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(घ) : PMFBY मांग आधारित है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। इसलिए, राज्य सरकारें और किसान अपने जोखिम के आकलन के आधार पर इस स्कीम का चयन करते हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान (30.06.2026 तक), 1,393 लाख किसान आवेदनों और 558 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया; यह वर्ष 2022-23 की तुलना में क्रमशः 23.8% और 7.91% अधिक है।

इस स्कीम के तहत बीमा कवरेज को बेहतर बनाने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है:

- **AIDE (इंटरमीडियरी एनरोलमेंट के लिए ऐप):** बीमा मध्यस्थों (Insurance Intermediaries) के बड़े नेटवर्क के माध्यम से किसानों का उनके घर पर ही नामांकन करने के लिए खरीफ़ 2023 में एक स्मार्ट-फ़ोन ऐप डिज़ाइन और लॉन्च किया गया है। यह किसानों को पूरी तरह से पेपरलेस और कैशलेस अनुभव देता है।

- सरकार ने राज्यों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के नेटवर्क द्वारा चलाई जा रही जागरूकता गतिविधियों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है, ताकि किसानों और पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सदस्यों के बीच PMFBY की मुख्य विशेषताओं का प्रचार-प्रसार किया जा सके।

- इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीफ़ 2021 मौसम से 'क्रॉप इंश्योरेंस वीक/फ़सल बीमा सप्ताह' नामक एक व्यवस्थित जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका उदेश्य योजना के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्टेकहोल्डर्स को संवेदनशील बनाना और किसानों; विशेष रूप से पहचाने गए आकांक्षी/आदिवासी ज़िलों पर ध्यान देते हुए कुल नामांकन में वृद्धि करना है। इसके साथ ही, योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं के बारे में किसानों की जानकारी बढ़ाने के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत (GP) स्तर पर 'फ़सल बीमा पाठशालाएँ' भी आयोजित की जा रही हैं।

- सरकार ने देश भर में 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' नाम से फ़सल बीमा पॉलिसी/रसीद वितरण का एक बड़ा अभियान भी चलाया था। ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर विशेष कैंपों के माध्यम से PMFBY के तहत नामांकन किए गए किसानों को फ़सल बीमा पॉलिसी की रसीदों की हार्ड कॉपी बांटी जाती हैं।

- इसके अलावा, जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य गतिविधियों में प्रमुख राष्ट्रीय और स्थानीय अख़बारों में विज्ञापनों के माध्यम से योजना की मुख्य विशेषताओं और लाभों का प्रचार करना; क्षेत्रीय/स्थानीय चैनलों पर ऑडियो-विज़ुअल स्पॉट दिखाना; स्थानीय भाषाओं में आईईसी (IEC) सामग्री बांटना; किसान/नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (NCIP) के माध्यम से SMS भेजना; और किसानों, पंचायत सदस्यों व अन्य प्रमुख स्टेकहोल्डर्स सहित सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित करना शामिल हैं।

अनुबंध

PMFBY और RWBCIS: 24.07.2026 तक, 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राज्य-वार कवरेज और दावों की रिपोर्ट।

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
	नामांकित आवेदन (लाख में)	भुगतान किए गए आवेदन (लाख में)	नामांकित आवेदन (लाख में)	भुगतान किए गए आवेदन (लाख में)	नामांकित आवेदन (लाख में)	भुगतान किए गए आवेदन (लाख में)	नामांकित आवेदन (लाख में)	भुगतान किए गए आवेदन (लाख में)	नामांकित आवेदन (लाख में)	भुगतान किए गए आवेदन (लाख में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.0050	-	0.0017	-	0.0019	0.0009	0.0021	0.0004	0.0002	-
आंध्र प्रदेश	-	-	123.87	7.91	132.55	10.69	93.45	9.85	18.88	0.02
असम	9.78	2.89	4.90	0.26	7.94	1.07	11.85	1.45	14.24	0.34
छत्तीसगढ	58.39	27.30	77.30	15.31	81.26	15.00	80.81	6.70	82.53	5.01
गोवा	0.00064	-	0.00403	0.00005	0.00340	0.00002	0.00480	0.00063	0.00340	0.00037
हरियाणा	14.53	6.44	14.52	7.51	102.68	25.85	182.11	25.58	178.05	48.97
हिमाचल प्रदेश	2.55	1.16	2.90	1.39	2.78	1.33	2.92	0.67	9.63	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.91	0.34	0.92	0.17	2.46	0.70	2.08	0.94	3.40	0.96
झारखंड	-	-	-	-	-	-	29.41	0.32	20.70	-
कर्नाटक	19.34	12.03	27.19	18.68	30.77	23.72	34.58	20.54	38.77	11.04
केरल	0.99	0.90	1.47	1.32	1.74	1.27	2.20	0.06	2.34	0.004
मध्य प्रदेश	92.64	42.86	177.32	36.65	177.96	39.05	179.87	43.88	197.03	33.48
महाराष्ट्र	99.03	66.52	107.34	75.47	241.74	132.08	220.51	86.33	110.31	15.32
मणिपुर	0.03	0.02	0.04	0.03	0.05	0.04	0.05	0.03	0.05	-
मेघालय	-	-	0.003	0.001	0.39	0.14	0.48	0.19	0.72	0.23
मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-
ओडिशा	81.73	29.71	80.21	17.70	141.61	11.32	146.87	10.18	131.34	0.04
पुदुचेरी	0.34	0.12	0.39	0.07	0.42	0.11	0.49	0.27	0.23	0.001
राजस्थान	344.54	118.82	390.71	115.90	390.40	96.92	370.94	53.99	384.95	56.56
सिक्किम	0.02	-	0.05	-	0.03	0.01	0.01	0.0004	0.04	0.001
तमिलनाडु	59.11	22.73	61.38	19.38	54.57	16.98	53.70	22.93	55.85	7.58
त्रिपुरा	3.35	0.44	3.56	0.20	3.65	0.10	0.24	0.07	1.05	0.00
उत्तर प्रदेश	40.69	10.37	42.84	12.36	60.69	11.52	107.85	18.40	139.02	41.12
उत्तराखंड	1.83	1.16	2.82	2.00	2.28	1.74	2.48	1.80	3.43	1.25
कुल	829.80	343.79	1,119.73	332.33	1,435.97	389.67	1,522.90	304.18	1,392.56	221.92
